कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ20(101)260/आयो/आकाशि/2010/1761 दिनांकः 19/12/2011

विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अनुसार जन सहभागिता योजना के अंतर्गत महाविद्यालय संचालन हेतु ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है जो महाविद्यालय के संचालन के समस्त आवर्ती व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। पूर्व में 27 तहसीलों में कोई भी राजकीय/निजी महाविद्यालय संचालित नहीं है। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा गठित समिति ने विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के कारण किसी संस्था को योग्य नहीं पाया। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुनः इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायें । इसकी अनुपालना में 09 महाविद्यालय विहिन तहसीलों में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ होने के कारण अब शेष 18 महाविद्यालय विहिन तहसीलों में निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने के लिए पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है । बनेडा व कोटडी (भीलवाड़ा), रेवदर (सिरोही), मलारना डूँगर (सवाई माधोपुर), छत्तरगढ व पूँगल (बीकानेर), बायतू , रामसर व शिव (बाड़मेर), फतेहगढ़ (जैसलमेर), शेरगढ़ (जोधपुर), बगोडा व सायला (जालौर), रायपुर (पाली), किशनगंज (बांरा), मनोहरथाना (झालावाड), अरनोद व गंगरार (चित्तौडगढ)

इच्छुक संस्थाऐं 31 जनवरी 2012 तक निदेशक, कॉलेज शिक्षा ब्लाक नं0 4 डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदनों को बिना आवेदक को सूचित किए रद्द करने का अधिकार निदेशक, कॉलेज शिक्षा को होगा। आवेदन पत्र निदेशालय कॉलेज शिक्षा, ब्लाक नं0 4 डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर से दिनांक ...2 जनवरी 12 से किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे के बीच 100/- रुपये नकद जमा कर प्राप्त किए जा सकतें है।

आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट **http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in** से भी डाउन लोड की जा सकती है ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांकःएफ20(101)260/आयो/आकाशि/2010/1761-1770 दिनांकः 19/12/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को प्रदेश के 2 प्रमुख समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर के प्रदेश स्तरीय संस्करणें) में शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करें (05 प्रतियों में)।

उप निदेशक
कालेज शिक्षा
राजस्थान जयपुर

18 महाविद्यालयविहिन तहसीलों पर निजी सहभागिता से नवीन महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित नीति

एवं

प्रस्तावक संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नम्बर–4 डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302017

फोन नम्बर– 0141 2703289

0141 2706550

मूल्य 100/– रु.

नोटः– इन्टरनेट से फार्म डाउनलोड करने पर फार्म शुल्क रूपये 100/– का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को देय संलग्न करें ।

कार्यालय निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

1.	श्री सुबीर कुमार, निदेशक	फोन – 2706847
2.	श्री सी.एम. खटीक ,संयुक्त निदेशक	फोन – 2706289
3.	श्री प्यारे लाल, संयुक्त निदेशक	फोन – 2706736
4.	श्री मुंशीराम, मुख्य लेखाधिकारी	फोन– 2703897
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उप विधि परामर्शी	फोन– 2700629

18 महाविद्यालयविहिन तहसीलों पर निजी सहभागिता से नवीन महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित नीति एवं प्रस्तावक संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश

राज्य की 241 तहसीलों में से 223 में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय उपलब्ध है । शेष 18 तहसीलें जहां निजी या राजकीय महाविद्यालय नहीं है उनकी सूची निम्नानुसार है :–

1– बनेडा (भीलवाडा)
2– कोटडी (भीलवाडा)
3– मलारना डूंगर (सवाईमाधोपुर)
4– छतरगढ (बीकानेर)
5– पूंगल (बीकानेर)
6– बायतू (बाडमेर)
7– रामसर (बाडमेर)
8– शिव (बाडमेर)
9– फतेहगढ (जैसेलमेर)
10– शेरगढ (जोधपुर)
11– सायला (जालौर)
12– बगोडा (जालौर)
13– रायपुर (पाली)
14– किशनगंज (बांरा)
15– मनोहरथाना (झालावाड)
16– गंगरार (चितौडगढ)
17– अरनोद (चितौडगढ)
18– रेवदर (सिरोही)

1. इन महाविद्यालयविहिन तहसीलों में महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2.00 करोड रूपये स्वीकृत किये जायेंगे जिनमें से 1.80 करोड रूपये भूमि एवं भवन निर्माण हेतु एवं 20.00 लाख रूपये कार्यालय, पुस्तकालय व सम्बद्वता शुल्क के लिए होंगे । भूमि एवं भवन निर्माण के पेटे राज्य सरकार से 1.80 करोड रूपये से महाविद्यालय भवन का निर्माण किसी राजकीय एजेन्सी के द्वारा करवाया जायेगा ।

2. इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं:–
   1. पंजीयन :– प्रस्तावक संस्था का पंजीयन निम्न मे से किसी एक अधिनियम के अन्तगर्त होना आवश्यक है:–
   - राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1958
   - राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959
   - भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882

3. प्रस्तावक संस्था को उच्च शिक्षा संस्थान संचालित करने का पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

   उच्च शिक्षा संस्थान से अभिप्राय है कि स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय /अभियान्त्रिकी महाविद्यालय/मेडिकल कॉलेज

4. महाविद्यालय संचालन करने वाली संस्था को 10.00 लाख रूपये की संयुक्त एफ.डी. निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर एवं संस्था सचिव के नाम से करवानी होगी।

5. आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय :–महाविद्यालय के संचालन हेतु समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय प्रस्तावक संस्था को वहन करने होंगे।

6. स्टाफः– प्रस्तावक संस्था द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मापदण्डों (एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स) के अनुसार की जावेगी।

7. वेतन भत्तेः– प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना प्रस्तावक संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
   - कर्मचारियो को देय समस्त भुगतान उनके बैंक खातो के माध्यम से किये जायेंगे।
   - कर्मचारियो की भविष्य निधि कटौती नियमानुसार की जाएगी।

8. फर्नीचर एवं उपकरण :– प्रस्तावक संस्था को निम्नानुसार फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था करानी होगीः–
   - कार्यालय, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर
   - विद्यार्थियों के लिये मेज कुर्सी
   - प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन व उपकरण
   - अनिवार्य कम्प्यूटर प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशालाओं व कक्षों हेतु आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर

9. प्रबन्ध समितिः– प्रस्तावक संस्था की 15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति होनी चाहिये। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 23 (1) (सी) के अनुसार "कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होगें तथा 23 (1) (सी) (ख) के अनुसार "प्रबन्ध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे। प्रबन्ध समिति में एक सदस्य निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर के विभागीय प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित करना होगा।

10. भूमि एवं भवन
   - आवेदक संस्था को अनुमानित क्षमता व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार भवन का नक्शा बनवा कर सम्बन्धित जिला/मण्डल कार्यालय से अनुमोदित करवाना होगा। अनुमोदित नक्शे में निजी संस्थाओं के लिए निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम सुविधाएं यथा प्रशासनिवक कक्ष, कक्षा कक्ष, खेल मैदान, सुविधाएं होने आवश्यक होंगे। निदेशालय के अनुमोदन के उपरान्त ही संस्था भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाएगा।
   - संस्था को लीज़ पर देय भूमि एवं भवन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा।
   - भविष्य में महाविद्यालय भवन का विस्तार राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रस्तावक संस्था अपने संसाधनो से करा सकेगी। यदि भूमि एवं भवन को प्रस्तावक संस्था द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई तो उसकी भरपाई संस्था को करनी होगी।
   - भूमि व भवन का उपयोग बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी अन्य व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं करेगा। भूमि व भवन का उपयोग से आय का पूर्ण

उपयोग शिक्षण संस्थान के संचालन, संस्था के संसाधनों को सुदृढ़ करने अथवा रख–रखाव हेतु ही किया जाएगा।

• भवन एवं जन सुरक्षा का उत्तरदायित्व संचालक संस्था का होगा।

• महाविद्यालय संचालन हेतु भवन लीज पर 15 वर्ष के लिये लिया जायेगा। इसके लिए 1000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से टोकन लीज मनी ली जायेगी। प्रारम्भ में 3 वर्षों के लिये कुल 3000/–रु. की लीज मनी करवानी होगी। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष की लीज मनी अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष जून में जमा करानी होगी।

11. गतिविधियां :– प्रस्तावक संस्था से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय से विविध सह शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियां जैसे खेलकूद, एन.एस.एस., विज्ञान क्लब, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम आदि संचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

12. महाविद्यालय संचालनः–

• संस्था संचालन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान एवं सेवा शर्तें आदि) अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 लागू होंगे।

• राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नीतिगत निर्देशों की अनुपालना प्रस्तावक संस्था को अपने महाविद्यालय में करानी होगी।

• प्रस्तावक संस्था बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के महाविद्यालय को बन्द नहीं कर सकगी। महाविद्यालय को बन्द करने की स्थिति में समस्त भूमि व भवन पर राज्य सरकार का स्वतः स्वामित्व हो जावेगा तथा संचालन अवधि के समय की समस्त देनदारियों एवं दायित्वों का निर्वहन संस्था द्वारा किया जावेगा। एसी स्थिति मे महाविद्यालय का स्टाफ राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जायेगा।

• यदि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय का संचालन नहीं किया जावेगा तो एक माह के नोटिस पर भूमि एवं भवन खाली करवा कर कब्जा ले लिया जावेगा।

• राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संस्था का निरीक्षण समय–समय पर किया जावेगा एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी को मांगने पर संस्था द्वारा समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी।

• प्रस्तावक संस्था को उपरोक्त आशयों की अनुपालना करने सम्बन्धित एक सहमति पत्र राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित करना होगा।

13. आर्थिक सुदृढ़ता

1. प्रस्तावक संस्था के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न के आधार पर 50.00 लाख रूपये, 100.00 लाख रूपये एवं 100.00 लाख रूपये से अधिक की प्रस्तावक संस्था को साक्षेप रूप से प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

2. प्रस्तावक संस्था के सहकारिता विभाग से अंकेक्षित रिपोर्ट 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष व उससे अधिक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर साक्षेप रूप से प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

14. शैक्षणिक अनुभवः–

प्रस्तावक संस्था द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान संचालन का अनुभव 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष व उससे अधिक का होने पर साक्षेप रूप से प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

राजकीय विभागों सम्बद्धक निकायों से स्थायी मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थान होने पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

15. प्रस्तावक संस्था के द्वारा उल्लेखनीय कार्य हेतु जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर साक्षेप रूप से प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

16. प्रस्तावक संस्था का कार्यक्षेत्र जिला संभाग व अन्य स्थान (राजस्थान) का होने पर साक्षेप रूप से प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

17. आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें:– आवेदन पत्र आयुक्त, कॉलेज शिक्षा कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस परे कार्यालय समय में भण्डार से क्रय किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र व दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

18. आवेदन शुल्क:– आवेदन फार्म का शुल्क 100/– रूपये (अक्षरे रूपये एक सो) होगा। विभागीय साइट से डाउनलोड किये जाने पर आवेदक को संस्था के नाम से जमा 100/– रूपये जमा की रसीद की फोटो प्रति अथवा निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के नाम देय डिमान्ड ड्राफ्ट /बैकर चैक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

19. आवदेन किसे व कब तक प्रस्तुत करे:– आवेदन दिनांक 31–01–2012 की सायं 6.00 बजे तक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, ब्लाक नम्बर–4, डा. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017 को भिजवाएं /प्रस्तुत करें।

20. आवदेनों/प्रस्तावो की जांच प्रक्रिया
(क) प्राप्त प्रस्तावों आवदनों पर निदेशालय की पांच सदस्यीय समिति विचार कर प्रस्ताव राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी–

1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, कॉलेज शिक्षा,राज.,जयपुर	सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, अनुदान, कॉलेज शिक्षा,राज.,जयपुर	सदस्य
4. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा,राज.,जयपुर	सदस्य
5. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा,राज.,जयपुर	सदस्य

(ख) एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर महाविद्यालय संचालन हेतु एक संस्था का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता निर्धारण हेतु संस्था के शैक्षणिक अनुभव, आर्थिक सुदृढ़ता को आधार बनाया जायेगा।
(ग) प्रस्तावों पर निर्णय के संबंध में सभी बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा।

21. निवेशकर्ता को पूर्व में महाविद्यालय संचालन का अनुभव संस्था के पास डिग्री स्तर के पाठयक्रम उपलब्ध करवाने वाले महाविद्यालय संचालित करने का अनुभव होना आवश्यक है। महाविद्यालय/अभियान्त्रिकी महाविद्यालय/सामान्य नर्सिंग/मेडिकल होने पर डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया जैसी नियामक संस्थाओं का अनुमोदन आवश्यक है। उक्त महाविद्यालय एआसीटीई/एनसीटीई/एमसीआई से मान्यता प्राप्त हो।
सामान्य शिक्षा का महाविद्यालय संचालित किया जा रहा हो तो इसे स्थाई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका होना आवश्यक है। डिग्री स्तर से नीचे के पाठयक्रम के संचालन करने वाले संस्थायें अपात्र होगी तथा ऐसी संस्थायें जो न्यूनतम एक महाविद्यालय के संबंध में नियामक संस्था का स्थापना से वर्तमान तक अनुमति पत्र

तथा सामान्य शिक्षा का महाविद्यालय होने की स्थिति में निदेशालय का प्रमाणित *स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है, अपात्र मानी जाएंगी।* मान्यता प्राप्त के दस्तावेज राजस्व अधिकारी से प्रमाणित अथवा अटेस्टेड होने चाहिए।

22. निवेशकर्ता का पिछले तीन वर्षों का निरन्तर अंकेक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

23. महाविद्यालय संचालन करने वाले निवेशकर्ता को 10.00 लाख रूपये की संयुक्त एफ. डी. निदेशक, कालेज शिक्षा के नाम से करवानी होगी।

24. निवेशकर्ता के पूर्व संस्थान/संस्थानों में से न्यूनतम एक संस्थान का किसी राष्ट्रीय स्तर के मान्य मूल्यांकन व प्रत्यायन संस्था से प्रत्यायन होना आवश्यक है तथा यह आवेदन की दिनांक तक लागू होना आवश्यक होगा। इस प्रत्यायन में संस्था को प्रत्यायन योग्य पाया गया होना चाहिए।

25. निवेशकर्ता को महाविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त भवन निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु समीपस्थ महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सहायक निदेशक (सम्बन्धित जोन) तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता को सम्मिलित करना होगा तथा उपयुक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार द्वारा किश्तों में राशि मोचित की जायेगी।

चैक लिस्ट

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की सत्यापित प्रति ।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची ।(मय नाम पते एवं फोन न0)
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय / विषय / संकाय हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
4. व्याख्याताओं द्वारा धारित अर्हता का प्रपत्र । यदि नियुक्ति नहीं की गई है तो घोषणा पत्र संलग्न करें ।
5. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चत करने का घोषणा पत्र ।
6. पुरानी संस्था होने पर गत तीन वर्षों के आय–व्यय का सी.ए. द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन। जिसमें संस्था के एसेट्स की स्पष्ट जानकारी दी गयी हों।
7. संस्था के अकादमिक क्षेत्र में अनुभव को स्पष्ट करने हेतु प्रमाण। (यथा संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय / सीनियर सैकण्डरी विद्यालय / अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की विवरणिका एवं किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट अथवा अन्य अनुभव ।)

नोट :– सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
सत्र ————————

18 महाविद्यालयविहिन तहसीलों पर निजी सहभागिता से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म का प्रारूप

आवेदन का प्रारूप
भाग – 'अ'

1. संस्था का नाम ————————————————————
2. संस्था का पूर्ण पता ————————————————————
————————————————————
जिला———————— पिन————

कार्यालय फोन नम्बर ————————————————————
वेबसाइट ————————————————————
ई–मेल ————————————————————
मोबाइल ————————————————————
Fax ————————————————————

4. संस्था राजस्थान के किस जिले/शहर में पंजीकृत है पंजीकरण संख्या———————— पंजीकरण वर्ष——————————
5. संस्था के पदाधिकारी का नाम जिससे पत्राचार किया जाना है–

नाम	पद	पता
		कार्यालय —————————————— —————————————— आवास —————————————— —————————————— फोन नं. कार्यालय—————————— आवास—————————— मोबाइल नम्बर ——————————

6. संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों/सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों की सूची

शिक्षण संस्था	नाम व पता	स्थापना का वर्ष
महाविद्यालय		
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल		
अन्य संस्थाएं		

7. प्रस्तावित महाविद्यालय के विषयों का विवरण

(अ) स्थान-------------- (तहसील) -------- जिला--------- सम्भाग

(ब) सह शिक्षा ( ) महिला शिक्षा ( )

(स) संकाय जो प्रारम्भ करना चाहते हैं--

विज्ञान ( ) वाणिज्य ( ) कला ( ) गृहविज्ञान ( )

(द) प्रत्येक संकाय में प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित विषय

विज्ञान --

वाणिज्य --

कला --

गृहविज्ञान --

8. अन्य विवरण --

स्थान: -------

दिनांक: ---------

हस्ताक्षर

नाम

पद

पता

(घोषणा पत्र)

भाग – 'स'

1 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ सम्बन्धी घोषणाः–

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा । यदि महाविद्यालय में की गई नियुक्तियॉ उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों की योग्यतानुसार वेतन एवं भत्तों पर नहीं की जाती है तो सरकार महाविद्यालय व उसकी प्रबंध समिति के सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र है ।

2 राजनीतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्रः–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा । यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनैतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तात पाई जाती है तो तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी ।

3 सभी जाति व वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा पत्रः–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति /धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे । यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी ।

4 प्रदूषण सम्बन्धी घोषणाः–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्रफल में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता हे तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी ।

5 राजकीय निर्देशों का पालन करना :–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (*Intoto*) पालना की जावेगी । यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्तंत्र होगी ।

6 महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन–देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा ।

7 महाविद्यालय में समस्त नियुक्तियां समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना/जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जायेगी तथा महाविद्यालय के नवनियुक्त समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को प्रारम्भ में दो वर्षो के प्रोवेशन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान की न्यूनतम स्थिर राशि पर रखा जायेगा तथा प्रोवेशन अवधि में संतोषजनक सेवा पाये जाने पर तीसरे वर्ष के प्रारम्भ से वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य भत्तों पर स्थाई नियुक्ति दी जायेगी । प्रबन्ध समिति की नियुक्ति सम्बन्धी प्रत्येक बैठक में निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को पदेन सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावेगा ।

8 महाविद्यालय में नियुक्त समस्त स्टाफ को प्रसूति लाभ, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी अधिनियमों के अधीन समस्त परिलाभ देय होंगे, जिनका उल्लेख प्रथम नियुक्ति पत्र में किया जायेगा ।

9 महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी ।

10 प्रस्तावित महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा ।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)
प्रबंध समिति

–: घोषणा :–

मैं ....पुत्र श्री....................................
......................................अध्यक्ष/सचिव...एतद्द्वारा
घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है । यदि उपरोक्त तथ्य गलत एव असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्व विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी ।

अध्यक्ष/सचिव
(प्रबन्ध समिति)